

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़

:: खण्ड का नाम::

निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. अस्कोट,

::कार्य का नाम::

जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग
नवनिर्माण कार्य।

योजना का नाम - राज्य योजना

(लम्बाई 2.00 किमी०+1 सेतु)

:: भूमि का विवरण::

वन भूमि	वन प्रभाग पिथौरागढ़	कुल भूमि
मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि		1.6200 है०
मलुवा निस्तारण योजना में प्रभावित राज्य भूमि		0.2235 है०
कुल राज्य/सिविल भूमि		1.8435 है०

प्रपत्र-1

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

प्रतिवेदन

उक्त मोटर मार्ग हेतु शासनादेश संख्या 7215/111(2)/15-56(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 31-12-2015 द्वारा 2 किमी0 + 1 सेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु0 25.92 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मार्ग का वन भूमि क्षेत्रफल 9.00 मी0 चौड़ाई के अनुसार गणना कर मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि 1.620 है0, मलुवा निस्तारण में प्रभावित राज्य भूमि 0.2235 है0 इस प्रकार कुल राज्य भूमि 1.8435 है0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसमें वृक्षों की गणना 9.00 मी0 चौ0 में की गई है। जिसमें बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है। इस मार्ग से निम्नलिखित गांव लाभान्वित होंगे :-

ग्राम का नाम	जनसंख्या
1 गाजरी	246
2 रूनड़ा	166

इस प्रस्ताव में मार्ग के संलग्न बारचार्ट व लैण्ड शैड्यूल के अनुसार निम्न प्रकार की भूमि हस्तान्तरित होनी है :-

1 आरक्षित वन भूमि	प्रभावित नहीं
2 मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि	1.620 है0
3 मलुवा निस्तारण में प्रभावित राज्य भूमि	0.2235 है0
कुल वनभूमि	1.8435 है0
1 नाप भूमि	0.1800 है0
कुल भूमि	2.0235 है0

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव गठित कर राज्य सरकार/भारत सरकार की स्वीकृति हेतु 1.8435 है0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।

ह0/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)